

श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय

बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड-249 199

Sri Dev Suman Uttarakhand Vishwavidhyalay
Badshahithaul, Tehri Garhwal-249 199

पत्रांक : १७७८ / SDSUV / प्रशारान / 2024

Tel.: 01376 - 254065 (O)

Fax: 01376 - 254065

Website: www.sdsuv.ac.in

दिनांक:- 01/08/2024

कार्यालय—आदेश

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय का छात्रसंघ संविधान तैयार किया गया है। जो विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.sdsuv.ac.in पर अपलोड किया गया है।

अतः छात्रसंघ संविधान में संशोधन हेतु यदि किसी का कोई सुझाव हो तो अपने महाविद्यालय/रांगथान के प्राचार्य/निदेशक के माध्यम 15 दिनों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को अवगत करा दें तदोपरान्त इस पर विचार नहीं किया जायेगा।

(दिनेश चन्द्रा)
कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

1. निजी रायिव कुलपति, माननीय कुलपति महोदय के सावर सूचनार्थ।
2. परीक्षा नियन्त्रक।
3. उपकुलरायिव।
4. डॉ० दीपक उपाध्याय, प्रोग्रामर, उक्त कार्यालय—आदेश एवं छात्रसंघ संविधान विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. कार्यालय प्रति।

(दिनेश चन्द्रा)
कुलसचिव

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय
के परिसर

एवं
सम्बद्ध महाविद्यालयों हेतु

छात्रसंघ संविधान



सत्र 2024–25 से प्रभावी

**श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल**

अनुक्रमणिका

अनुच्छेद	विवरण/ अध्याय	पृष्ठ संख्या
1	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ	1
2	संविधान में प्रयुक्त शब्दावली का भावार्थ	1-2
3	छात्रसंघ से सम्बन्धित सामान्य जानकारियाँ	2-3
4	छात्रसंघ का स्वरूप	3-4
5	कार्यकारिणी में पदाधिकारियों की पात्रता/अर्हता	4-6
6	सम्बद्ध महाविद्यालयों/विश्वविद्यालय परिसर में अशान्त वातावरण में निर्वाचन पद्धति	7
7	निर्वाचन पद्धति	8
8	निर्वाचन प्रक्रिया की आवृत्ति और अवधि	9
9	निर्वाचन प्रक्रिया	9
10	नामांकन दाखिल करना एवं नामांकन वापसी	10-11
11	मतदान प्रक्रिया	11-12
12	मतगणना प्रक्रिया	12-13
13	पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य	14-15
14	बैठक एवं कार्य विधि	15
15	छात्रसंघ कोष तथा उसका उपयोग	16
16	छात्रसंघ पदाधिकारियों, सदस्यों और निर्वाचन प्रशासन के लिए आचार संहिता	16-18
17	शिकायत निवारण प्रकोष्ठ	18-21
18	निर्वाचन प्रक्रिया के समय परिसर में विधि और व्यवस्था बनाये रखना	21
19	विविध (अविश्वास प्रस्ताव, निलम्बन/पदच्युत, छात्रसंघ को भंग करना, व्यावसायिक संगठनों की सहायता से नेतृत्व प्रशिक्षण, बड़े पदाधिकारियों के पद रिक्त होने पर व्यवस्था)	21-22
20	सुरक्षा व्यवस्था	22
	परिशिष्ट	23-31

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

- I. इसका नाम श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय परिसर/सम्बद्ध महाविद्यालय छात्रसंघ संविधान है।
- II. इसका विस्तार श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के समस्त परिसरों तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों पर है।
- III. यह संविधान विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद/शासन के द्वारा पारित तथा प्रवर्तन की घोषणा की तिथि से लागू होगा।

2. संविधान में प्रयुक्त शब्दावली का भावार्थ

- | | |
|----------------------------|---|
| I.आयु में समुचित छूट | - व्यावसायिक पाठ्यक्रम की अवधि के तदनुरूप छूट, लेकिन सम्बन्धित पाठ्यक्रम 4-5 वर्ष की अवधि का होना अनिवार्य होगा। |
| II.कार्यकारिणी | - निर्वाचित पदाधिकारियों और/अथवा नामित सदस्यों की सभा। |
| III.कोई भी छात्र | - मत देने के लिए अधिकृत विश्वविद्यालय के परिसर/सम्बद्ध महाविद्यालय का नियमित और अर्ह छात्र (शोध छात्र/छात्राओं को छोड़कर)। |
| IV.गत वर्ष | - वर्तमान शिक्षा सत्र से ठीक पिछला सत्र, जिसका आशय सत्र के सम एवं विषम सेमेस्टर दोनों को मिलाकर है। |
| V.छात्रसंघ प्रभारी | - शिक्षा सत्र के दौरान छात्रसंघ के कार्य और क्रियाकलापों के संचालन तथा देखरेख हेतु संस्थाध्यक्ष द्वारा नियुक्त प्राध्यापक। |
| VI.निर्वाचन समिति | - छात्रसंघ निर्वाचन प्रक्रिया को सम्पन्न कराने वाली संस्थाध्यक्ष द्वारा गठित समिति। |
| VII.प्रॉविजनल प्रवेश | - सशर्त (कन्डीशनल) प्रवेश अथवा अनन्तिम प्रवेश जो स्थाई प्रवेश नहीं है। |
| VIII.प्रशासन | - विश्वविद्यालय/परिसर तथा महाविद्यालय का प्रशासन। |
| IX.बड़े पदों का रिक्त होना | - अध्यक्ष अथवा सचिव के पद का रिक्त होने से है। |
| X.मतदाता सूची | - सम्बन्धित संस्था में वर्तमान शैक्षणिक सत्र में प्रवेश प्राप्त समस्त संस्थागत छात्र/छात्राओं की कक्षावार सूची (शोध छात्र/छात्राओं को छोड़कर)। |
| XI.विहित व्यय | - छात्रसंघ चुनाव में प्रत्याशी द्वारा किया जाने वाला कुल व्यय छात्र संख्या 10,000 से कम होने पर रु. 25,000 तथा 10,000 से ज्यादा होने पर रु. 50,000 से अधिक नहीं होगा। |
| XII.विश्वविद्यालय | - श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय |
| XIII.शासन | - उत्तराखण्ड सरकार/शासन |

XIV. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ	- नियमावली के अनुरूप विधिक रूप से गठित छात्र संगठन के निर्वाचन सम्बन्धी शिकायतों पर विनिश्चय, आदेश अथवा व्यवस्था देने की शक्ति प्राप्त प्रकोष्ठ।
XV. शैक्षणिक अवशेष	- किसी भी शैक्षणिक सत्र अथवा सेमेस्टर में बैक पेपर नहीं होना।
XVI. शैक्षिक सत्र/शिक्षा सत्र	- सामान्यतः 01 जुलाई से अगले वर्ष 30 जून तक की अवधि।
XVII. संविधान	- छात्रसंघों की निर्वाचन प्रक्रिया तथा उनके कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों का संकलन।
XVIII. संस्था/शिक्षण संस्था	- श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालय।
XIX. अपीलीय क्षेत्राधिकार	- छात्रसंघ पदाधिकारियों के निर्वाचन संबंधी विवादों के विषय में अपीलीय क्षेत्राधिकार विश्वविद्यालय परिसर में संस्थाध्यक्ष/निदेशक तथा महाविद्यालय में प्राचार्य के पास होगा।

3. छात्रसंघ से सम्बन्धित सामान्य जानकारियाँ

1. नाम, सदस्यता एवं कार्यकाल

नाम	- छात्रसंघ का नाम(परिसर)/(सम्बद्ध महाविद्यालय) "छात्रसंघ" होगा।
सदस्यता	- संस्था का प्रत्येक संस्थागत नियमित छात्र/छात्रा (शोध छात्र/छात्रा को छोड़कर) सम्बन्धित छात्रसंघ का सामान्य सदस्य होगा/होगी।
सदस्यता शुल्क	- चूँकि शोध छात्रों को भविष्य में शैक्षणिक कार्यों में सहभागीदारी करनी होती है। इसलिए वे चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी नहीं कर सकते हैं। - सम्बन्धित संस्था के प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्रवेश लेते समय लिया जाने वाला छात्रसंघ सदस्यता शुल्क।

कार्यकाल

- छात्रसंघ व कार्यकारिणी का कार्यकाल उस सत्र के छात्रसंघ गठन की तिथि से अगले वर्ष 30 जून तक होगा। 30 जून को छात्रसंघ स्वतः भंग माना जायेगा। अगले छात्रसंघ के गठन तक संघ के पदाधिकारियों व कार्यकारिणी के कार्यकाल का कार्यवाहक पदाधिकारियों के रूप में विस्तारण महाविद्यालयों के सम्बन्ध में संस्थाध्यक्षों द्वारा तथा विश्वविद्यालय के परिसरों के सम्बन्ध में अधिष्ठाता छात्र कल्याण द्वारा कुलपति जी के अनुमोदन के उपरांत किया जा सकता है परन्तु यहअपरिहार्य विस्तारित नहीं किया जायेगा।

II. छात्रसंघ के उद्देश्य - प्रत्येक संस्था में छात्रसंघ के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य होंगे-

- i. संस्था में पठन-पाठन का वातावरण तैयार करने में सहयोग देना।
- ii. संस्था के चहुँमुखी विकास हेतु सम्बन्धित संस्था प्रशासन को सहयोग प्रदान करना।
- iii. छात्र/छात्राओं को लोकतांत्रिक प्रणाली का ज्ञान करवाकर उस पर विश्वास सुदृढ़ करना।
- iv. छात्र-छात्राओं की सामूहिक समस्याओं के निराकरण हेतु सम्बन्धित संस्था, प्रशासन और शासन से विचार-विमर्श करना।
- v. संस्था की प्रतिष्ठा में अभिवृद्धि करना और संस्था में अनुशासन बनाये रखना।
- vi. छात्र/छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु रचनात्मक कार्य करना।
- vii. समाज को धैतन्य बनाने, विकसित करने तथा व्यवस्थित करने के उद्देश्य से छात्र/छात्राओं के जीवन को सांस्कृतिक, सामाजिक तथा बौद्धिक दृष्टि से सम्पन्न करने हेतु कार्यक्रम व क्रिया-कलापों की व्यवस्था करना जैसे-परिचर्चा, परिसंवाद और गोष्ठियां, परिभ्रमण व पर्यटन, क्रीड़ा, समाज सेवा, सामाजिक सौहार्द इत्यादि कार्यक्रम आयोजित करना।

4. छात्रसंघ का स्वरूप

I. परिसर/ महाविद्यालय छात्र संघ

प्रत्येक संस्था में छात्रसंघ का स्वरूप निम्नवत् होगा-

संरक्षक	-	संस्था के संस्थाध्यक्ष सम्बन्धित संस्था के छात्रसंघ के संरक्षक होंगे।
छात्रसंघ	-	छात्रसंघ पदाधिकारीगण एवं छात्रसंघ कार्यकारिणी का सम्मिलित निकाय।
छात्रसंघ प्रभारी	-	छात्रसंघ के वार्षिक क्रिया-कलापों की देखरेख तथा कार्य संचालन हेतु संस्थाध्यक्ष द्वारा नियुक्त प्राध्यापक छात्रसंघ प्रभारी होंगे।
छात्रसंघ पदाधिकारी	-	विश्वविद्यालय परिसर/सम्बद्ध महाविद्यालय में प्रत्यक्ष निर्वाचित / नामांकित पदाधिकारी निम्न प्रकार होंगे- अध्यक्ष - 01 उपाध्यक्ष - 01 सचिव - 01 सह सचिव - 01 कोषाध्यक्ष - 01 विश्वविद्यालय प्रतिनिधि - 01 कार्यकारिणी सदस्य - 06 (नामांकित)

नोट : प्रत्येक विश्वविद्यालय परिसर/ महाविद्यालय में पदाधिकारियों के पद शासन के निर्देशानुसार चक्रानुक्रम में छात्राओं के लिए आरक्षित रहेंगे।

II. विश्वविद्यालय छात्र महासंघ/ एपेक्स बॉडी

- i. समग्र विश्वविद्यालय स्तर का एक महासंघ/ छात्र एपेक्स बॉडी होगा जिसमें प्रत्येक महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर द्वारा चुने गए विश्वविद्यालय प्रतिनिधि (UR) इसकी आम सभा का गठन करेंगे।
- ii. विश्वविद्यालय छात्र एपेक्स बॉडी की सामान्य सभा द्वारा अपने सदस्यों में से गोपनीय मतदान द्वारा विश्वविद्यालय छात्र महासंघ/एपेक्स बॉडी के पदाधिकारियों का निर्वाचन होगा।
- iii. विश्वविद्यालय छात्र महासंघ में निम्नलिखित सदस्य होंगे:

अध्यक्ष	01
उपाध्यक्ष	01
महासचिव	01
सचिव	01
कोषाध्यक्ष	01
कार्यकारिणी सदस्य	06 (नामांकित)

महाविद्यालयों/परिसरों के छात्र संघों एवं विश्वविद्यालय के महासंघ में कार्यकारिणी सदस्य के छः—छः पद नामांकन के आधार पर भरे जाएंगे जिसके लिए दो छात्र/छात्राएं (एक पद स्नातक विद्यार्थी तथा एक पद स्नातकोत्तर विद्यार्थी) महाविद्यालय/परिसर स्तर पर क्रम से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं हेतु आरक्षित होंगे तथा विश्वविद्यालय स्तर पर विश्वविद्यालय में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं हेतु आरक्षित होंगे। दो पद (एक पद स्नातक विद्यार्थी तथा एक पद स्नातकोत्तर विद्यार्थी) खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों हेतु आरक्षित होंगे तथा दो पद (एक पद स्नातक विद्यार्थी तथा एक पद स्नातकोत्तर विद्यार्थी) एन.सी.सी./एन.एस.एस./सांस्कृतिक कार्यकलापों में महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का नाम रोशन करने वाले विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होंगे। स्नातक स्तर तक संचालित महाविद्यालय में कार्यकारिणी के सभी सदस्य स्नातक स्तर से ही नियमानुसार नामांकित किए जाएंगे।

- iv. विश्वविद्यालय छात्र महासंघ/एपेक्स बॉडी का चुनाव पूर्व निर्दिष्ट तिथि पर माननीय कुलपति द्वारा नामित निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा संपन्न कराया जाएगा।
- v. विश्वविद्यालय छात्र महासंघ/एपेक्स बॉडी के चुनाव में प्रतिभाग करने हेतु महाविद्यालय/परिसर के विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों (UR) को किसी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा प्रचार आदि हेतु कोई अन्य व्यय देय नहीं होगा।
- vi. विश्वविद्यालय छात्र महासंघ/एपेक्स बॉडी की निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों (UR) को अपनी संस्था के प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी चुनाव प्रमाण पत्र तथा निर्धारित फीस का ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा।

5.छात्रसंघ के पदाधिकारियों व कार्यकारिणी सदस्य की पात्रता/अर्हता

छात्रसंघ निर्वाचन के लिए पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्य की अर्हता निम्न प्रकार होगी

I. आयु सीमा—

- स्नातक स्तर के छात्र/छात्रा प्रत्याशी की न्यूनतम आयु 17 तथा अधिकतम 22 वर्ष होनी चाहिए। महाविद्यालय/परिसरों में जहाँ 4 से 5 वर्ष के व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं, वहाँ इस आयु सीमा में समुचित रूप से तदनुरूप छूट दी जा सकती है।
- स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु 25 वर्ष है।
- व्यावसायिक पाठ्यक्रम के छात्र-छात्रा चुनाव में प्रतिभाग कर सकते हैं तथा इनसे छात्र संघ मद में शुल्क लिया जाना आवश्यक है।

स्पष्टीकरण:

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अर्थ ऐसे समस्त पाठ्यक्रमों से है, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा के उद्देश्य से नियंत्रित किया जा रहा हो अथवा/और परिसर/सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा संचालित किया जा रहा हो, परन्तु यह भी कि ऐसे पाठ्यक्रमों के शिक्षण की अवधि कम से कम एक वर्ष की होनी आवश्यक है।

एल0 एल0 बी0, एल0 एम0 तथा बी0 एड0, एम0 एड0 के पाठ्यक्रमों के लिये अधिकतम आयु 25 वर्ष होगी। ऐसे डिप्लोमा पाठ्यक्रम जिसमें प्रवेशार्थियों की न्यूनतम अर्हता इण्टरमीडिएट है, उनकी आयु स्नातक स्तर के छात्र प्रत्याशी के आयु के समान ही होगी। इसके अतिरिक्त स्नातकोत्तर स्तर के डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रमों हेतु आयु सीमा स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के चुनाव लड़ने की आयु के समान ही होगी।

- व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जिनमें स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की अवधि 4 से 5 वर्ष है, के छात्र बिंदु I (i) व I (ii) में उल्लिखित वर्ग अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट के अधिकारी होंगे।
- उपरोक्त प्रस्तर I (a) व I (b) में आयु की गणना के लिए मानक तिथि 1 जुलाई होगी।

II. शैक्षणिक अवशेष वर्जित—

यद्यपि चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित नहीं हैं तथापि किसी भी दशा में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी/विद्यार्थी के वर्ष में शैक्षणिक अवशेष नहीं होने चाहिए।

III. वांछित न्यूनतम उपस्थिति—

अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण करनी चाहिए। अभ्यर्थी के द्वारा परिशिष्ट-2 के अनुसार यह शापथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि विगत वर्ष उसकी उपस्थिति 75 प्रतिशत रही है और वर्तमान कक्षा में प्रवेश की तिथि से चुनाव हेतु नामांकन दाखिल करने की तिथि तक 75 प्रतिशत उपस्थिति रही है तथा भविष्य में भी 75 प्रतिशत उपस्थिति रहेगी।

IV. प्रत्याशी को अवसर—

प्रत्याशी के पास विश्वविद्यालय परिसर/महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय छात्र महासंघ के पदाधिकारी के रूप में चुनाव लड़ने का मात्र एक अवसर है। कार्यकारिणी सदस्य के रूप में चुनाव में प्रतिभाग करने के दो अवसर मिलेंगे।

V. आपराधिक पृष्ठभूमि वर्जित-

प्रत्याशी का पूर्व का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं होना चाहिए, अर्थात् उसका किसी भी प्रकार के अपराध के लिए विचारण और/अथवा दोषसिद्धि न हुई हो। विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा प्रत्याशी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की गई नहीं होनी चाहिए। इस आशय का शपथ पत्र प्रत्याशी द्वारा परिशिष्ट-2 में उल्लिखित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा।

स्पष्टीकरण:

“विचारण” का अर्थ यह है कि सम्बन्धित कार्यवाही आरोपित अपराधी के विरुद्ध एफ० आई० आर०, अन्वेषण एवं पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र के पश्चात् आरोपित अपराधी द्वारा दोष की स्वीकारोक्ति अथवा दोषी होने से इन्कार करने के उपरान्त प्रारंभ हुई हो, परन्तु यह न्यायालय के निर्णय से पहले की अवस्था हो।

VI. संस्थागत पूर्णकालिक प्रत्याशी-

प्रत्याशी को सम्बद्ध परिसर/महाविद्यालय का पूर्णकालिक विद्यार्थी होना चाहिए और उसे दूरस्थ/व्यक्तिगत शिक्षा का विद्यार्थी नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि सभी अह प्रत्याशियों को पूर्णकालिक पाठ्यक्रम का संस्थागत विद्यार्थी होना चाहिए। पाठ्यक्रम की अवधि कम से कम एक वर्ष की होनी चाहिए।

VII. निर्वाचन सम्बन्धी खर्चे और वित्तीय जवाब देही-

- i. दस हजार से कम छात्र संख्या वाले संस्थानों के लिए निर्वाचन व्यय की अधिकतम धनराशि 25,000 रु० तथा दस हजार या इससे उपर छात्र संख्या वाले संस्थानों के लिए निर्वाचन व्यय की अधिकतमक धनराशि 50,000 रु० होगी।
 - ii. प्रत्येक प्रत्याशी विश्वविद्यालय परिसर / संबंधित महाविद्यालय के प्राधिकारियों को चुनाव परिणाम घोषित होने के दो सप्ताह के अन्तर्गत स्वप्रमाणित लेखा प्रस्तुत करेगा। सम्बद्ध परिसर/महाविद्यालय परिसर इस प्रकार से प्रस्तुत लेखा को 2 दिन के अन्तर्गत समुचित माध्यम से प्रकाशित करेगा। प्रकाशन के आधार पर छात्र निकाय का कोई भी सदस्य इसका परीक्षण कर सकेगा।
 - iii. इस नियम का पालन नहीं करने अथवा अधिक खर्च करने वाले प्रत्याशी का निर्वाचन रद्द कर दिया जायेगा।
 - iv. प्रत्याशी छात्र निकाय के सदस्यों से स्वैच्छिक अंशदान के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति अथवा निकाय अथवा राजनीतिक दलों से निर्वाचन के व्यय के लिए धन प्राप्त नहीं करेगा। प्रत्याशियों/प्रत्याशी को अन्य स्रोतों से प्राप्त धन को विशेष रूप से निर्वाचन में व्यय करने से रोका जायेगा।
- निर्वाचन सम्बन्धी खर्चे और वित्तीय जवाबदेही की उपरोक्त अनिवार्यताओं का अनुपालन करने का शपथ पत्र प्रत्याशी के द्वारा परिशिष्ट-2 के प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।

6. विश्वविद्यालय परिसर/सम्बद्ध महाविद्यालयों में अशान्त वातावरण में विद्यार्थी प्रतिनिधित्व का स्वरूप

I. जहाँ परिसर/सम्बद्ध महाविद्यालयों का वातावरण शान्तिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के विपरीत है, वहाँ मनोनयन के आधार पर विद्यार्थी प्रतिनिधित्व गठित किया जायेगा। इस प्रकार की मनोनयन पद्धति विशुद्ध रूप से शैक्षणिक योग्यता पर आधारित नहीं होनी चाहिए।

II. जहाँ निर्वाचन करा पाना उपरोक्त कारण से सम्भव नहीं है अथवा मनोनयन स्वरूप प्रचलित है, वहाँ मनोनयन स्वरूप की अनुमति सीमित समय के लिए ही होनी चाहिए। मनोनयन पद्धति केवल अन्तर्रिम व्यवस्था के रूप में ही लागू होनी चाहिए।

III. सभी संस्थान 5 वर्षों के अन्तराल में विद्यार्थी प्रतिनिधित्व के मनोनयन स्वरूप को सुव्यवस्थित निर्वाचन में परिवर्तित करेंगे। यह निर्वाचन अप्रत्यक्ष पद्धति, प्रत्यक्ष पद्धति अथवा दोनों का मिला-जुला स्वरूप हो सकता है। सभी संस्थानों, विशेषकर स्ववित्त पोषित निजी संस्थानों द्वारा उपरोक्त परिवर्तन का अनुपालन किया जाना अपेक्षित होगा।

IV. सभी संस्थान मनोनयन के आधार पर गठित “विद्यार्थी प्रतिनिधित्व स्वरूप” का पुनर्विलोकन करेंगे। मनोनयन पद्धति को लागू करने के दो वर्षों के पश्चात् प्रथम पुनर्विलोकन होगा, आवश्यकतानुसार तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ष के पश्चात् द्वितीय पुनर्विलोकन होगा। पुनर्विलोकनों का प्रारंभिक उद्देश्य प्रत्येक प्रतिष्ठान में प्रतिनिधि तंत्र तथा चुनाव तंत्र की सफलता का पता लगाना होगा और उसी आधार पर यह निर्णय लिया जायेगा कि क्या सम्पूर्ण निर्वाचन पद्धति को लागू किया जाए अथवा नहीं? सम्बन्धित पुनर्विलोकन विद्यार्थियों, संकाय प्रशासन, विद्यार्थी निकाय और विद्यार्थियों के माता-पिता के विचारों और सुझावों पर भी आधारित होगा।

7. निर्वाचन की पद्धति

I. छात्रसंघ के निर्वाचन के लिए निम्नलिखित लेखा चित्र में प्रदर्शित पद्धति अपनाई जायेगी जिसके अनुसार सम्बद्ध परिसर/महाविद्यालयों में छात्रसंघ पदाधिकारियों तथा विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। इस पद्धति का रेखाचित्र निम्न प्रकार है :

लेखा चित्र प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष निर्वाचन—

छात्र संघ चुनाव और छात्र प्रतिनिधि राजनैतिक दलों से पृथक रहेंगे।

II. निर्वाचन के दौरान कोई भी व्यक्ति, जो परिसर/महाविद्यालय का छात्र नहीं है, उसे किसी भी क्षमता में निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। जो कोई व्यक्ति, प्रत्याशी अथवा विद्यार्थी इस नियम का उल्लंघन करता है, उसका निर्वाचन रद्द करने के अतिरिक्त उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

III. विश्वविद्यालय स्तरीय विद्यार्थी प्रतिनिधिक निकाय—

प्रत्येक परिसर/महाविद्यालय से निर्वाचित विश्वविद्यालयप्रतिनिधि, विश्वविद्यालय छात्र महासंघ के निर्वाचन मण्डल का गठन करेंगे। इसी निर्वाचक मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय छात्र महासंघ के पदाधिकारियों का चुनाव किया जायेगा। विश्वविद्यालय छात्र महासंघ उन मुद्दों, जो परिसर विशेषअथवा महाविद्यालय विशेषतक सीमित न होकर पूरे विश्वविद्यालय विद्यार्थी समुदाय से संबंधित हो, के विषय में विश्वविद्यालयप्रशासन के समक्ष प्रतिनिधित्व करेगा। जहां परिसर अथवा महाविद्यालय स्तरीय छात्रसंघ अपने परिसर अथवा महाविद्यालय तक सीमित विषय/ विषयों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन अथवा परिसर/महाविद्यालय प्रशासन के समक्ष प्रतिनिधित्व कर रहा हो तो ऐसे विषय/ विषयों में विश्वविद्यालयछात्र महासंघ भी उसका सहयोग करेगी।

8. निर्वाचन प्रक्रिया की आवृति और अवधि

- I. निर्वाचन की सम्पूर्ण प्रक्रिया, जो नामांकन पत्र प्रस्तुत करने से परिणाम घोषित करने की तिथि तक होगी एवं जिसमें चुनाव प्रचार भी सम्मिलित है, वह सब मिलाकर 10 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- II. निर्वाचन वार्षिक आधार पर होंगे एवं सामान्यतः यह शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने के 6 से 8 सप्ताह के मध्य होने चाहिये। अत्यन्त अपरिहार्य परिस्थितियों में ही, कुलपति जी की पूर्व अनुमति से, निर्वाचन प्रक्रिया को विलम्बतम् अगले छः सप्ताह की अवधि के भीतर सम्पन्न कराया जा सकेगा।

9. निर्वाचन प्रक्रिया

- I. यदि संस्थाध्यक्ष आवश्यक समझते हो तो समस्त निर्वाचन प्रक्रिया के संचालनार्थ निर्वाचन समिति का गठन कर सकते हैं जिसमें छात्र संघ प्रभारी पदेन मुख्य निर्वाचन अधिकारी होंगे। समिति के शेष सदस्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करेंगे।
- II. जिन संस्थाओं में निर्वाचन समिति गठित करने की आवश्यकता अनुभव न की जाती हो, वहाँ छात्रसंघ प्रभारी ही निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करते हुये समस्त निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न करायेंगे।
- III. निर्वाचन प्रक्रिया जैसे नामांकन दाखिल करना, नाम वापसी, मतदान, मतगणना, निर्वाचन परिणाम की घोषणा और शपथ ग्रहण के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, संस्थाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित, निर्वाचन अधिसूचना जारी करेंगे, जिसमें उपरोक्त सभी प्रक्रियाओं से सम्बन्धित समय और तिथियों का उल्लेख किया जायेगा।
- IV. निर्वाचन की अधिसूचना के उपरांत अधिकतम 10 दिनों के भीतर समस्त निर्वाचन प्रक्रिया (नामांकन दाखिल करने से लेकर शपथ ग्रहण तक) सम्पन्न कर ली जायेगी।
- V. यदि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोई अप्रत्याशित घटना घटित होती है या विवाद उत्पन्न होता है और इस सम्बन्ध में विधिवत् शिकायत प्राप्त होती है तो संस्थाध्यक्ष द्वारा गठित निर्वाचन समिति/छात्रसंघ प्रभारी, जैसी भी स्थिति हो, उस पर विचार कर अपना निर्णय देगा/देगी। लिया गया निर्णय अन्तिम होगा। किसी भी प्रत्याशी को इस निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में वाद दायर करने का अधिकार नहीं होगा।
- VI. निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अर्थात् नामांकन दाखिल करने के पश्चात् और परिणामों की घोषणा से पूर्व किसी प्रत्याशी की असामिक मृत्यु हो जाने पर निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित नहीं की जायेगी। मृतक को सम्बन्धित पद पर सर्वाधिक मत प्राप्त हो जाने पर उसे निर्वाचित घोषित न कर उसके निकटतम प्रतिद्वंदी को निर्वाचित घोषित किया जायेगा।
- VII. छात्रसंघ के गठन के पश्चात् शैक्षिक सत्रान्त से पूर्व किसी पदाधिकारी की असामिक मृत्यु हो जाने अथवा किसी पदाधिकारी द्वारा संरक्षा छोड़ देने अथवा किसी पदाधिकारी के पदच्युत हो जाने के कारण यदि कोई पद रिक्त हो जाता है तो उस पद हेतु पुनः निर्वाचन नहीं किया जायेगा, वरन् उपाध्यक्ष को अध्यक्ष के पद पर सह सचिव को सचिव के पद पर, जैसी भी स्थिति हो, पदोन्नति कर दी जानी चाहिये।

1. नामांकन दाखिल करना एवं नामांकन वापसी

I. नामांकन दाखिल करना—

- i. नामांकन हेतु निर्धारित प्रपत्र/प्रारूप (परिशिष्ट-1) में नामांकन निर्धारित तिथि एवं समय तक ही स्वीकार किया जायेगा।
- ii. नामांकन प्रपत्र में सभी प्रविष्टियां पूर्ण करना आवश्यक होगा। अपूर्ण नामांकन प्रपत्र निरस्त (रद्द) कर दिया जायेगा।
- iii. नामांकन प्रपत्र में निर्धारित स्थान पर प्रत्याशी द्वारा अपना नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ चिपकाना अनिवार्य होगा।
- iv. नामांकन प्रपत्र के साथ हाईस्कूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र, स्नातक प्रथम वर्ष/सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण से अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण तक सभी परीक्षाओं की अंक तालिकाओं की प्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नामांकन स्वीकार नहीं किया जायेगा अथवा रद्द कर दिया जायेगा।
- v. प्रत्येक पद के प्रत्याशी हेतु एक-एक प्रस्तावक और एक-एक अनुमोदक होगा जो उसी संस्था का संस्थागत छात्र/छात्रा होगा/होगी।
- vi. किसी एक प्रत्याशी का प्रस्तावक और अनुमोदक उसी पद हेतु अन्य किसी प्रत्याशी का प्रस्तावक अथवा अनुमोदक नहीं हो सकता।
- vii. सक्षम समिति/अधिकारी के सम्मुख नामांकन प्रपत्र प्रस्तुत करते समय प्रत्याशी, उसके प्रस्तावक और अनुमोदक को स्वयं उपस्थित होकर नामांकन प्रपत्र में निर्धारित स्थान में हस्ताक्षर करने होंगे।
- viii. नामांकन प्रपत्र दाखिल करते समय प्रत्याशी, प्रस्तावक और अनुमोदक द्वारा संस्था का वर्तमान शिक्षा सत्र का परिचय पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- ix. कोई भी प्रत्याशी एक से अधिक पद हेतु नामांकन दाखिल नहीं कर सकेगा।
- x. किसी पद के लिये केवल एक नामांकन पत्र के बैंध होने की स्थिति में सम्बन्धित प्रत्याशी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा।
- xi. नामांकन प्रपत्र में निर्धारित स्थानों पर प्रत्याशी/प्रस्तावक/अनुमोदक का वही नाम अंकित होना चाहिये जो हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार सम्बन्धित संस्था में दर्ज किया गया हो। कोई भी उपनाम मान्य नहीं होगा। नाम/नामों में भिन्नता होने अथवा उप नाम लिखे होने की स्थिति में नामांकन रद्द कर दिया जायेगा।
- xii. प्रत्याशी को नामांकन प्रपत्र दाखिल करते समय निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-2) में नामांकन शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह छात्र संघ संविधान में उल्लिखित आचार संहिता का पालन करेगा/करेगी। आचार संहिता का उल्लंघन करने की दशा में उसे छात्र संघ निर्वाचन प्रक्रिया से अलग कर दिया जायेगा अथवा उसका निर्वाचन रद्द कर दिया जायेगा। ऐसा शपथ पत्र रु0 10/- के स्टाम्प पेपर पर ओथ कमिशनर या नोटरी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये।
- xiii. नामांकन प्रपत्र तथा नामांकन शुल्ककी राशि विश्वविद्यालय परिसर तथा महाविद्यालय अपनी छात्र संख्या एवं व्यावहारिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रखेंगे जो किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी।

II. नाम वापसी

- i. नामांकन वापसी हेतु प्रत्याशी द्वारा दो साक्ष्यों जो संस्था में संरथागत छात्र/छात्रा होंगे, के साथ निर्धारित प्रारूप में (परिशिष्ट-03) निर्धारित तिथि और समय के भीतर सक्षम अधिकारी के सम्मुख आवेदन करना होगा।
- ii. आवेदन करते समय प्रत्याशी एवं साक्ष्यों को संस्था का अपना परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- iii. नामांकन वापसी के बाद वैध प्रत्याशियों की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर से पद वार रोमन वर्णमाला क्रम में जारी की जायेगी।

11. मतदान प्रक्रिया

- I. नामांकन वापसी के पश्चात् वैध प्रत्याशियों हेतु मतदान कराया जायेगा।
- II. मतदान प्रजातांत्रिक तरीके से एक पद एक मत के आधार पर कराया जायेगा।
- III. मतदान हेतु “गुप्त मतदान पद्धति” अपनायी जायेगी।
- IV. संस्था में मतदाताओं की संख्या के आधार पर एक अथवा अधिक मतदान बूथ बनाये जा सकते हैं।
- V. प्रत्येक मतदान स्थल पर मतदान करवाने हेतु संस्थाध्यक्ष/मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा टीम गठित की जायेगी। यह टीम परिसर/महाविद्यालय के पदाधिकारियों तथा विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न करायेगी।
- VI. मतपत्र पर क्रमांक मुद्रित किया जायेगा।
- VII. मतदाता को मत पत्र निर्गत करने से पूर्व मत पत्र प्रतिपर्ण परं मतदाता के हस्ताक्षर कराये जायेंगे और मतपत्र के दूसरी तरफ पर पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।
- VIII. यदि प्रत्याशी चाहे तो मतदान स्थल पर स्वयं उपस्थित रह सकता है, लेकिन उसकी उपस्थिति के दौरान प्रत्याशी का अभिकर्ता मतदान स्थल पर उपस्थित नहीं रहेगा।
- IX. मतदान स्थल पर उपस्थित प्रत्याशी/एजेन्टों द्वारा मतदान से पूर्व मत पेटी खाली होने और उनके सम्मुख मत पेटी सील बन्द करने सम्बन्धी घोषणा पत्र परं (परि0- 4) हस्ताक्षर कर सकते हैं और इस प्रकार मतदान समाप्ति पर उनके सम्मुख मत पेटी सील बन्द करने सम्बन्धी घोषणा पत्र (परि0- 5) पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।
- X. यदि मतदान प्रारम्भ होने से 5 मिनट पूर्व तक कोई भी प्रत्याशी मतदान स्थल पर उपस्थित नहीं होता है तो मतदान अधिकारी मतपेटी सील बन्द कर निर्धारित समय में मतदान प्रारम्भ करने के लिए खतंत्र होंगे।
- XI. मतदाता द्वारा संस्था का वर्तमान सत्र का परिचय पत्र सम्बन्धित मतदान स्थल के अधिकारियों को दिखाने पर ही उसे मतदान का अधिकार दिया जायेगा।
- XII. संस्था के निर्वाचन कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये सुभिन्नक विह्व वाले मुहर द्वारा ही मतदान किया जायेगा।

- XIII. प्रत्याशियों अथवा उनके समर्थकों द्वारा मतदान स्थल के भीतर तथा संस्था, परिसरों के अन्दर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार नहीं किया जायेगा, अन्यथा इसे निर्वाचन आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा।
- XIV. मतदान समाप्ति के बाद मतदान अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप (परिः ०-६) में मतपत्र लेखा तैयार कर मतपेटी के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी को हस्तगत करना होगा।
- XV. मतदान के समय या इसके उपरान्त किसी हिंसक वारदात अथवा अन्य किसी कारण से मतदान में व्यवधान होने पर निर्वाचन समिति की संस्तुति पर संरक्षक द्वारा मतदान स्थगित किया जा सकता है। स्थगन सम्पूर्ण शिक्षा सत्र के लिए भी हो सकता है। स्थगन की अवधि व्यवधान उत्पन्न होने के कारणों, प्रकृति और संवेदनशीलता आदि पर निर्भर करेगी।
- XVI. मतदान प्रक्रिया के सुचारू संचालन हेतु संस्थाध्यक्ष उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त अन्य नियम भी निर्गत कर सकते हैं।

12. मतगणना प्रक्रिया

- I. मतदाताओं की संख्या के आधार पर एक अथवा अधिक मतगणना केन्द्र बनाये जा सकते हैं।
- II. निर्वाचन समिति अथवा अधिकारी की देख-रेख में निर्धारित समयानुसार विभिन्न मतगणना केन्द्रों पर मतगणना कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- III. प्रत्याशी मतगणना केन्द्र पर स्वयं उपस्थित रह सकते हैं अथवा मतगणना केन्द्र हेतु निर्धारित मतगणना नियुक्ति प्रपत्र (परिः ८) द्वारा एक अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। अभिकर्ता नियुक्ति पत्र मतगणना अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करने पर ही अभिकर्ता को मतगणना केन्द्र पर उपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
- IV. कोई भी मतगणना अभिकर्ता मतगणना समाप्ति से पूर्व मतगणना स्थल नहीं छोड़ेगा।
- V. मतगणना प्रारम्भ होने से पूर्व उपस्थित प्रत्याशी/अभिकर्ताओं द्वारा मत पेटी के सील बन्द होने की निर्धारित घोषणा पत्र (परिः ९) पर हस्ताक्षर करने आवश्यक होंगे। इसी प्रकार मतगणना समाप्ति पर मतगणना से संतुष्ट होने और मतगणना परिणामों को स्वीकार करनेके निर्धारित घोषणा प्रपत्र (परिः १०-१०) पर हस्ताक्षर करने आवश्यक होंगे। मतगणना समाप्ति के पश्चात् मतगणना अधिकारियों द्वारा भी मतगणना शीट पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा।
- VI. मतगणना ५०-५० अथवा १००-१०० मत पत्र के बंडल बनाकर की जायेगी। प्रत्येक बंडल की गणना के बाद उपस्थित अभिकर्ता अपनी गणना का मूल्यांकन मतगणना अधिकारियों की गणना से करेंगे। किसी प्रकार की भिन्नता होने पर उस बंडल की उसी समय पुनः मतगणना कर ली जायेगी।
- VII. मतगणना अधिकारियों की मतगणना अंतिम मानी जायेगी और इस गणना के आधार पर संस्थाध्यक्ष अथवा मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन परिणामों की घोषणा की जायेगी।
- VIII. उपलब्ध करायी गयी मोहर के चिन्ह के अतिरिक्त मतदाता द्वारा मत पत्र पर कोई अन्य चिन्ह या स्थाही अथवा पेन का प्रयोग किये जाने पर मत पत्र अवैध माना जायेगा।

- IX. यदि मतपत्र पर मतदाता द्वारा हस्ताक्षर किया गया हो अथवा उस पर कुछ लिखा गया हो तो मतपत्र अवैध माना जायेगा।
- X. यदि एक मतपत्र में एक से अधिक पदों हेतु मतदान कराया गया हो और उनमें एक या कुछ प्रत्याशियों के सम्मुख कोई निशान बनाया गया हो या कुछ लिखा गया हो तो उस पद/पदों हेतु भत अवैध होगा। किन्तु अन्य पदों हेतु मत वैध माना जायेगा।
- XI. सुभिन्नक चिह्न किसी पद के दो प्रत्याशियों के सम्मुख होने की स्थिति में मत की गिनती उस प्रत्याशी के पक्ष में की जायेगी जिस प्रत्याशी के खाने में चिह्न का कटान बिन्दु स्थित होगा। कटान बिन्दु दो प्रत्याशियों के मध्य स्थित लाईन के ठीक ऊपर होने पर उस पद हेतु मत अवैध होगा।
- XII. यदि किसी पद हेतु निर्वाचित प्रत्याशी और उसके निकटतम प्रतिद्वन्द्वी के बीच अधिकतम 3 मतों का अन्तर है अर्थात् हार जीत का अन्तर अधिकतम तीन मतों का होने पर निकटतम प्रतिद्वन्द्वी (हारने वाला प्रत्याशी) यदि चाहे तो परिणाम की घोषणा के 30 मिनट के भीतर रु0 500/- मात्र की धनराशि जो किसी भी दशा में लौटायी नहीं जायेगी के साथ पुनर्मतगणना हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सम्मुख प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। पुनर्मतगणना का परिणाम अन्तिम और सर्वभान्य होगा। तत्पश्चात् कोई मतगणना नहीं कीजायेगी।
- XIII. परिसर/महाविद्यालय के छात्रसंघ चुनाव में जब दो प्रत्याशियों को समान मत प्राप्त होंगे तो विजेता का चुनाव लॉटरी के पर्ची विधि से होगा।
- XIV. विश्वविद्यालयछात्र महासंघ/एपेक्स बॉडी के निर्वाचन में यदि दो प्रत्याशियों को समान मत प्राप्त होते हैं तो दोनों को विजेता घोषित कर उन्हें आधा-आधा कार्यकाल दिया जाएगा। प्रथम कार्यकाल का निर्धारण लॉटरी के पर्ची विधि से होगा।
- XV. परिणाम घोषित होने के बाद यथाशीघ्र शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी।
मतगणना के पश्चात् सभी मत पत्र छात्र संघ प्रभारी की निगरानी में रखे जायेंगे और एक सप्ताह बाद संस्थाध्यक्ष की अनुमति लेकर विनिष्टीकरण हेतु गठित स्थायी समिति द्वारा नष्ट कर दिये जायेंगे। कोई विवाद लम्बित होने की स्थिति में विवाद के निपटारे के एक सप्ताह के बाद मत पत्र नष्ट कर दिये जायेंगे। मत पत्रों का विनिष्टीकरण हो जाने पर समिति अविलम्ब इस सन्दर्भ में संस्थाध्यक्ष को विहित प्रारूप (परिशिष्ट 11) में सूचित करेगी।
- XVI. छात्र संघ चुनाव संबंधी दस्तावेजों के विनिष्टीकरण के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय परिसर/सम्बद्ध महाविद्यालय में एक स्थायी समिति का गठन किया जायेगा जो कि निम्नवत होगी :
- i. विश्वविद्यालय परिसर में:
 - अधिष्ठाता— छात्र कल्याण— पदेन समन्वयक होंगे एवं अन्य सहायक अधिष्ठाता— छात्र कल्याण इसके सदस्य होंगे।
 - ii. सम्बद्ध महाविद्यालयमें :
 - छात्र संघ प्रभारी— पदेन समन्वयक होंगे;
 - मुख्यशास्ता— सदस्य एवं
 - संस्थाध्यक्ष / प्राचार्य द्वारा नामित प्रतिनिधि— सदस्य होंगे।

13. छात्रसंघ पदाधिकारियों के अधिकार और कर्तव्य

छात्रसंघ विद्यार्थियों का प्रतिनिधि निकाय होने के नाते संस्था प्रशासन का केवल सहायक अंग है और प्रत्येक दशा में यह संस्था प्रशासन एवं उसके विभिन्न नियमों के अन्तर्गत कार्य करेगा। इसलिये इसमें उल्लिखित छात्रसंघ के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पदाधिकारियों एवं विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों के लिये पदवार निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य सुनिश्चित किये जाते हैं।

अध्यक्ष—

- I. छात्र संघ की बैठक की अध्यक्षता करना।
- II. छात्र संघ की बैठक आयोजित करने हेतु सचिव को निर्देशित करना।
- III. संस्था—प्रशासन को छात्र/छात्राओं की सामूहिक समस्याओं से अवगत कराना और उनके समाधान हेतु वार्ता एवं विचार विमर्श करना।
- IV. संघ के विभिन्न पत्रजातों तथा व्यय पत्रों पर हस्ताक्षर करना।
- V. बैठक में उठाये गये बिन्दुओं पर चर्चा एवं विचार करना और समाधान प्रस्तुत करना।

उपाध्यक्ष—

- I. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करेगा।
- II. अन्य बैठकों में विभिन्न मुद्दों पर बहस/चर्चा में भाग लेना एवं विचार विमर्श करना।

सचिव—

- I. अध्यक्ष के निर्देशानुसार समय—समय पर छात्रसंघ की बैठक आयोजित करना।
- II. समरत पत्र व्यवहार करना।
- III. बैठकों में लिये गये निर्णयों को अभिलेखों में प्रविष्ट करना।
- IV. छात्रसंघ प्रभारी के माध्यम से संस्थाध्यक्ष को बैठकों में लिये गये विभिन्न निर्णयों से अवगत कराना।
- V. संघ के व्यय वाउचरों को सत्यापित करना।

सहसचिव—

- I. सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के कार्यों का निर्वहन करना।
- II. छात्रसंघ की बैठकों, चर्चाओं में भाग लेकर अपने विचार एवं सुझाव रखना।

कोषाध्यक्ष—

- I. बैठकों में छात्रसंघ कोष के आय व्यय का विवरण प्रस्तुत करना।
- II. संघ के समरत व्यय वाउचरों को अवलोकनार्थ एवं प्रमाणित करने हेतु छात्रसंघ प्रभारी के समुख प्रस्तुत करना।
- III. संघ की बैठकों, चर्चाओं में भाग लेना और अपने सुझाव/विचार रखना।

विश्वविद्यालय प्रतिनिधि—

प्रत्येक परिसर/महाविद्यालय से निर्वाचित विश्वविद्यालय प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय छात्र महासंघ के निर्वाचन मण्डल का गठन करेंगे। इसी निर्वाचक मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय छात्र महासंघ के

पदाधिकारियों का चुनाव किया जायेगा। विश्वविद्यालय छात्र महासंघ उन मुद्दों, जो परिसर- विशेष अथवा महाविद्यालय- विशेष तक सीमित न होकर पूरे विश्वविद्यालय विद्यार्थी समुदाय से संबंधित हो, के विषय में विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष प्रतिनिधित्व करेगा। जहां परिसर अथवा महाविद्यालय स्तरीय छात्रसंघ अपने परिसर अथवा महाविद्यालय तक सीमित विषय/ विषयों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन अथवा परिसर/ महाविद्यालय प्रशासन के समक्ष प्रतिनिधित्व कर रहा हो तो ऐसे विषय/ विषयों में विश्वविद्यालय छात्र महासंघ भी उसका सहयोग करेगा।

14. बैठक तथा कार्यविधि

छात्रसंघ की सामान्यतया एक माह में एक बैठक होगी किन्तु विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष द्वारा एक माह से पूर्व भी बैठक आयोजित की जा सकती है।

गणपूर्ति-

छात्रसंघ की कोई भी बैठक तभी मान्य होगी जबकि उसमें अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष सहित पूर्ण छात्रसंघ के आधे से अधिक सदस्य उपस्थित होंगे।

कार्य विधि-

छात्रसंघ की बैठक में अध्यक्ष की अनुमति से सदस्यों द्वारा क्रमवार समस्यायें रखी जायेंगी और उन पर बहस/ चर्चा करायी जायेगी। बैठक की कार्यवाही सचिव द्वारा अभिलेखों में प्रविष्ट की जायेगी। बैठक में किसी व्यक्तिगत समस्या के सन्दर्भ में विचार विमर्श न होकर सामुहिक हित सम्बन्धी बिन्दुओं/ समस्याओं पर विचार किया जायेगा।

निर्णय-

- I. बैठक में लिये गये निर्णय उपस्थित सदस्यों के आधे से अधिक के बहुमत प्राप्त होने पर ही मान्य होंगे।
- II. बैठक में लिये गये निर्णयों से छात्रसंघ प्रभारी के माध्यम से संस्थाध्यक्ष को अवगत कराना अनिवार्य होगा।
- III. संस्थाध्यक्ष के साथ पदाधिकारियों की किसी विषय पर चर्चा से पूर्व छात्रसंघ प्रभारी के माध्यम से अनुमति और समय लेना आवश्यक होगा तथा चर्चा का एजेंडा भी पहले से तय होगा।
- IV. वैधता हेतु सामान्य निर्णयों के अतिरिक्त अन्य निर्णय जैसे- हड़ताल, अनशन, आमरण अनशन, कक्षाओं का बहिष्कार, धरना और ताला बन्दी इत्यादि छात्रसंघ की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होने चाहिये। ऐसी बैठकों में सभी पदाधिकारियों तथा कार्यकारिणी सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी। ऐसे निर्णयों की लिखित सूचना इनके क्रियान्वयन से कम से कम चार दिन पूर्व संस्थाध्यक्ष को देना अनिवार्य होगा।

15. छात्रसंघ कोष तथा उसका उपयोग

- I. छात्रसंघ कोष संस्था के संस्थागत छात्र/छात्राओं से छात्रसंघ सदस्यता शुल्क के रूप में प्राप्त धनराशि से निर्मित होगा। छात्रसंघ सदस्यता शुल्क राशि सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार निर्धारित की जायेगी। सदस्यता शुल्क राशि में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार संस्थाध्यक्ष को होगा।
- II. छात्रसंघ कोष किसी भी स्थानीय बैंक में संस्थाध्यक्ष/संरक्षक के अधीन रहेगा।
- III. इस कोष का प्रयोग छात्रसंघ निर्वाचन सम्पन्न कराने, आवश्यक सामग्री के क्रय, मतदाता सूचियों के प्रकाशन, मतपत्र छपवाने, छात्रसंघ के लेटर पैड छपवाने तथा स्टेशनरी आदि क्रय करने से सम्बन्धित व्ययों की प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त छात्र हित में शिष्टमंडल ले जाने, निर्धन छात्र/छात्राओं को सहायता प्रदान करने, मेधावी छात्र/छात्राओं को पुरस्कृत करने और आपदा राहत आदि में किया जा सकता है।
- IV. छात्र—संघ को अपने ही सत्र की सदस्यता शुल्क की जमा धनराशि को कार्यकारिणी द्वारा पारित बजट के अनुरूप व्यय करने का अधिकार होगा। व्यय किए गए बिलों पर अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष में से कम से कम दो के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे तथा छात्र—संघ प्रभारी की संस्तुति के पश्चात महाविद्यालय द्वारा जमा निधि से भुगतान होगा। छात्र संघ कोष की धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा रहेगी। बैंक खाते का संचालन प्राचार्य निदेशक के हस्ताक्षर से होगा जिसका हिसाब महाविद्यालय/परिसर कार्यालय रखेगा।
- V. छात्रसंघ कोष से एक हजार रुपये से अधिक धनराशि व्यय करने सम्बन्धी व्यय प्रस्तावों से सम्बन्धित धनराशि हेतु आवेदन करने से पूर्व इसे छात्रसंघ के कुल सदस्यों के बहुमत से पारित होना आवश्यक होगा। यदि अति आवश्यक कार्य हेतु तत्काल धनराशि की आवश्यकता हो और छात्रसंघ की बैठक आहूत करना सम्भव न हो तो कार्य सम्पादन के बाद ऐसे व्ययों को छात्रसंघ के कुल सदस्यों के बहुमत से पारित कराना आवश्यक होगा अन्यथा अगला व्यय प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

16. छात्रसंघ पदाधिकारियों, सदस्यों और निर्वाचन प्रशासन के लिये आचार संहिता

- I. कोई भी प्रत्याशी कोई ऐसी गतिविधि अथवा उसका अवप्रेरण नहीं करेगा, जिससे विभेद को बढ़ावा मिलता हो अथवा पारस्परिक विद्वेष उत्पन्न होता हो, अथवा विभिन्न जातियों, धार्मिक एवं भाषाई समुदायों अथवा विभिन्न छात्र समूहों के मध्य विवाद पैदा होता हो।
- II. अन्य प्रत्याशियों की आलोचना केवल उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पूर्ववृत्तों और कार्यों तक सीमित होनी चाहिये। सभी प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशियों अथवा उनके समर्थकों के निजी जीवन के सभी पहलुओं, जो लोक कार्य—कलाओं से सम्बन्धित नहीं हैं, की आलोचना से दूर रहेंगे। अन्य प्रत्याशियों और उनके समर्थकों पर अप्रमाणित आरोप लगाने अथवा मिथ्या वर्णन करने से भी प्रत्याशी दूर रहेंगे।
- III. मत प्राप्त करने के लिये जाति अथवा साम्रादायिक भावना के आधार पर आग्रह नहीं किया जायेगा। परिसर के अन्दर अथवा बाहर पूजा स्थलों का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जायेगा।

- IV. सभी प्रत्याशियों हेतु ऐसे कृत्य अथवा उनका उत्प्रेरण करना, जो कि भ्रष्ट आचरण तथा अपराध की श्रेणी में आते हों, जैसे मतदाताओं को रिश्वत देना, उन्हें आतंकित करना, छद्म मतदाता बनाना, मतदान केन्द्र से 100 मीटर की परिधि के भीतर चुनाव प्रचार करना, मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से 24 घंटे पूर्व तक की अवधि के भीतर जनसभा करना तथा मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक आवागमन अथवा यातायात के साधनों द्वारा लाना—ले जाना प्रतिषिद्ध होगा।
- V. किसी भी प्रत्याशी को प्रचार के लिए मुद्रित इश्तहार, मुद्रित पैम्पलेट (पुस्तिका) अथवा किसी अन्य मुद्रित सामग्री के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी। प्रचार के लिए प्रत्याशी केवल हाथ से बने हुये, ऐसे इश्तहारों का प्रयोग कर सकते हैं, जो विहित व्यय के अन्तर्गत ही सृजित किये गये हैं।
- VI. किसी भी प्रत्याशी को परिसर/महाविद्यालय के बाहर जुलूस निकालने अथवा जनसभा करने अथवा किसी भी तरह का प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी।
- VII. बिना परिसर/महाविद्यालय प्राधिकारियों की लिखित अनुमति के किसी भी प्रत्याशी अथवा उसके समर्थकों को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की किसी भी सम्पत्ति को किसी भी उद्देश्य के लिए विरुपित अथवा क्षतिग्रस्त नहीं करने दिया जायेगा। सभी प्रत्याशी संयुक्त और पृथक रूप से परिसर/महाविद्यालय की सम्पत्ति को विरुपित/क्षतिग्रस्त करने के लिए दायित्वाधीन होंगे।
- VIII. प्रत्याशी चुनाव के दौरान जुलूस और/अथवा जन सभायें कर सकते हैं, परन्तु इस प्रकार के जुलूसों और जनसभाओं से विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में किसी भी प्रकार से कक्षाओं के संचालन और अन्य शैक्षणिक और सह शैक्षणिक कार्य—कलापों में व्यवधान नहीं डाला जा सकेगा। ऐसा कोई जुलूस /जनसभा महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय प्राधिकारियों की पूर्व लिखित अनुमति के बिना आयोजित नहीं किया जा सकेगा।
- IX. प्रचार के उद्देश्य के लिए ध्वनिक्षेपक (लाउडस्पीकर), वाहनों और जानवरों का प्रयोग प्रतिबंधित होगा।
- X. प्रत्याशियों को मतदान की तिथि से पूर्व जनरल गैदरिंग में अपने विचार छात्र/छात्राओं के समक्ष रखने हेतु पाँच मिनट का समय दिया जायेगा।
- XI. मतदान के दिन विभिन्न छात्र संगठन और प्रत्याशी—
- निर्वाचन के कार्य में लगे हुये अधिकारियों के साथ शांतिपूर्ण और व्यवस्थित निर्वाचन सम्पन्न कराने तथा मतदाताओं को बिना किसी खीज अथवा व्यवधान पहुँचाये उनके स्वतन्त्र मतदान के उपयोग में सहयोग करेंगे।
 - मतदान के दिन पेयजल के अलावा कोई भी तरल अथवा ठोस पदार्थ को पीने अथवा खाने के लिए न देंगे और न वितरित करेंगे।
 - मतदान के दिन किसी भी प्रकार का प्रचार नहीं करेंगे।
- XII. मतदाताओं के अतिरिक्त कोई भी छात्र/व्यक्ति, निर्वाचन समिति अथवा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय प्राधिकारियों से प्राप्त वैध परिपत्र/पत्र के बिना निर्वाचन स्थल में प्रवेश नहीं करेगा।

चुनाव आयोग/ विश्वविद्यालय/महाविद्यालय प्राधिकारी निष्पक्ष पर्यवेक्षक नियुक्त कर सकते हैं। स्ववित्त पोषित संस्थानों के मामलों में सरकारी सेवकों को भी पर्यवेक्षक नियुक्त किया जा सकता है। यदि प्रत्याशियों को निर्वाचन सम्बन्धी विशेष शिकायत अथवा समस्या हो, वे इसको पर्यवेक्षक की जानकारी में ला सकते हैं। पर्यवेक्षक की नियुक्ति ऐसे संस्थानों में भी की

- जायेगी, जहां विद्यार्थी प्रतिनिधित्व की नामांकन पद्धति के अन्तर्गत विद्यार्थी प्रतिनिधियों का नामांकन किया जा रहा हो।
- XIII. सभी प्रत्याशी संयुक्त रूप से निर्वाचन सम्पन्न होने के 48 घंटे के अन्दर निर्वाचन स्थल की सफाई करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- XIV. उपरोक्त आचार संहिता के विपरीत कार्य करने में प्रत्याशी का प्रत्याशित अथवा उसका निर्वाचित पद, जैसी भी रिस्ति हो, निराकृत हो सकता है। निर्वाचन आयोग/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय प्राधिकारी उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी कर सकते हैं।
- XV. उपर्युक्त रूप से वर्णित आचार संहिता के अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 153-क (विभिन्न वर्गों के मध्य विद्वेष को बढ़ावा देना) और अध्याय 9-क निर्वाचन सम्बन्धी अपराध (रिश्वत देना, अनुचित दबाव डालना, छद्म मतदान, असत्य घोषणाआदि) भी छात्रसंघ निर्वाचन में लागू होंगे।

17. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

विश्वविद्यालय परिसर/सम्बद्ध महाविद्यालय में एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ होगा। इसका अध्यक्ष अधिष्ठाता छात्र कल्याण / छात्र कल्याण हेतु प्रभारी शिक्षक होगा। इसके अतिरिक्त संकाय का एक वरिष्ठ सदस्य, एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तथा अन्तिम वर्ष में अध्ययनरत इस कार्य हेतु नामित एक छात्र और एक छात्रा (विद्यार्थियों को मेरिट और/अथवा पूर्व वर्ष में सह शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर नामित) भी इसके सदस्य होंगे। शिकायत प्रकोष्ठ निर्वाचन सम्बन्धी समस्त शिकायतों के निवारण के लिए अनिवार्य रूप से गठित किया जायेगा, और उसकी व्यापक अधिकारिता में निर्वाचन आचार संहिता के उल्लंघन एवं निर्वाचन से सम्बन्धित व्यय की शिकायत पर विचार करने की शक्ति भी शामिल होगी। यह प्रकोष्ठ शैक्षिक संस्थान की नियमित इकाई होगी।

अपने कर्तव्यपालन के अनुक्रम में शिकायत प्रकोष्ठ का अधिकार है कि यह आचार संहिता के उल्लंघन होने अथवा प्रकोष्ठ द्वारा दी गई व्यवस्था का उल्लंघन होने पर उल्लंघनकर्ता का अभियोजन कर सकेगा। यह प्रकोष्ठ प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के न्यायालय की तरह कार्य करेगा। शिकायत प्रकोष्ठ आचार संहिता के उल्लंघन के विवाद तथा विधि और व्यवस्था के विवाद पर निर्णय देगा। इसके निर्णय के विरुद्ध पीड़ित पक्षकार/पक्षकारों को संस्था के अध्यक्ष के पास अपील करने का अधिकार होगा। अपील में संस्थाध्यक्ष शिकायत प्रकोष्ठ के द्वारा अधिरोपित शास्ति को समाप्त अथवा संशोधित कर सकता है। शिकायत प्रकोष्ठ शिकायतों पर विचार करते समय सम्यक् प्रक्रिया का अनुपालन करेगा व पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा। इस कार्यवाही को सम्पादित करने में शिकायत प्रकोष्ठ के पास अधिकार होगा कि वह—

- I. प्रत्याशियों, अभिकर्ताओं, कार्यकर्ताओं और विद्यार्थियों को उपस्थित होने और साक्ष्य देने तथा आवश्यक पत्रावली प्रस्तुत करने हेतु लिखित आदेश जारी कर सकेगा।
- II. किसी भी प्रत्याशी के वित्तीय विवरण का परीक्षण करेगा और अनुग्रह किये जाने पर इन अभिलेखों को लोक परीक्षण के लिए उपलब्ध करायेगा।
- III. शिकायत प्रकोष्ठ के सदस्य शिकायत दायर नहीं कर सकते हैं। अन्य कोई भी विद्यार्थी निर्वाचन के परिणाम घोषित होने की तिथि से 3 (तीन) सप्ताह के भीतर शिकायत प्रकोष्ठ को शिकायत कर सकता है। सभी शिकायतें शिकायतकर्ता विद्यार्थी के नाम से होनी चाहिए। शिकायत प्रकोष्ठ शिकायत

प्राप्त होने के 24 घण्टे के भीतर शिकायत को खारिज करने अथवा सुनवाई करने पर निर्णय लेगा। शिकायत प्रकोष्ठ शिकायत को निम्नलिखित परिस्थितियों में खारिज कर सकता है—

- i. शिकायत उपरोक्त निर्धारित समय सीमा के अन्दर नहीं की गई है।
- ii. शिकायत अपेक्षित अनुतोष (Relief) के लिए वाद हेतु (Cause of action) स्थापित करने में असफल है।
- iii. शिकायतकर्ता को कोई क्षति अथवा हानि नहीं हुई है और/अथवा होने की संभावना नहीं है।

यदि शिकायत खारिज नहीं की जाती है, तो इसकी सुनवाई की जायेगी। शिकायत प्रकोष्ठ शिकायतकर्ता तथा शिकायत में उल्लिखित समूह/व्यक्तियों को लिखित अथवा ई-मेल द्वारा सुनवाई के स्थान और समय के बारे में सूचना देगा। पक्षकार तब तक सूचित किये गये नहीं माने जायेंगे जब तक कि शिकायत की एक प्रति उनके द्वारा प्राप्त नहीं कर ली जाती है। शिकायत की यथासम्भव अविलम्ब सुनवाई कर ली जायेगी, लेकिन पक्षकारों को उक्त सूचना प्राप्त होने के 24 घण्टे के अन्दर सुनवाई आरम्भ नहीं की जायेगी, जब तक कि सभी पक्षकार 24 घण्टे के नियत समय का अभित्यजनन करने के लिए सहमत नहीं हो जाते हैं। सुनवाई की सूचना जारी करते समय यदि शिकायत प्रकोष्ठ व्यक्ति विशेष अथवा निकाय पर विपरीत अथवा अनुचित प्रभाव को रोका जाना आवश्यक समझता है, तो वह बहुमत से अस्थाई अवरोधक आदेश जारी कर सकता है। ऐसा कोई भी अवरोधक आदेश शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा सुनवाई के पश्चात् निर्णय घोषित किये जाने अथवा ऐसे आदेश को विर्खेडित कर दिये जाने तक प्रभावी रहेगा। शिकायत प्रकोष्ठ की सभी सुनवाई, कार्यवाही और बैठकें परिसर में सार्वजनिक रूप से होंगी।

सभी पक्षकार शिकायत प्रकोष्ठ के समुख सुनवाई के समय उपस्थित रहेंगे। पक्षकार अपने परामर्शी के रूप में किसी विद्यार्थी के साथ भी उपस्थित हो सकते हैं। उनके पास विकल्प है कि वे/वह उस परामर्शी के द्वारा प्रतिनिधित्व करा सकेंगे। किसी भी सुनवाई में शिकायत प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सहित बहुमत का उपस्थित होना अनिवार्य है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य शिकायत प्रकोष्ठ की अध्यक्षता करेगा। शिकायत प्रकोष्ठ सुनवाई के लिए प्रारूप निर्धारित करेगा लेकिन प्रकोष्ठ के समुख शिकायतकर्ता तथा उत्तरदाता दोनों पक्षकारों को शिकायत के विवादों में उत्तर, खण्डन और त्वरित उत्तर (रिज्यॉडर) के लिए भौतिक रूप से उपस्थित रहना आवश्यक है। सुनवाई का लक्ष्य निर्णय, आदेश अथवा व्यवस्था देने के लिए सूचना एकत्रित करना है, जिसके आधार पर निर्वाचन सम्बन्धी विवाद का निस्तारण किया जायेगा। इस लक्ष्य के कार्यान्वयन हेतु सुनवाई के समय निम्नलिखित नियमों का अनुपालन होना चाहिये—

- I. शिकायतकर्ता को दो से अधिक गवाह प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी, जबकि शिकायत प्रकोष्ठ जितना आवश्यक समझे, उतने गवाहों को बुला सकता है। यदि उक्त गवाह सुनवाई के समय उपस्थित होने में असमर्थ होते हैं तो शिकायत प्रकोष्ठ के अध्यक्ष को “अनुपस्थिति में गवाही देने” के उद्देश्य से हस्ताक्षरित शपथ पत्र दे सकते हैं।
- II. पक्षकारों के विवाद से सम्बन्धित सभी प्रश्न और बहस शिकायत प्रकोष्ठ को सम्बोधित होगी।
- III. सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता अथवा उत्तरदाता को गवाहों अथवा किसी पक्षकार की परीक्षा अथवा प्रतिपरीक्षा करने की अनुमति नहीं होगी।
- IV. शिकायत प्रकोष्ठ दोनों पक्षकारों की सम्यक सुनवाई के लिए युक्तियुक्त समय सीमा निर्धारित करेगा।

- V. शिकायतकर्ता पर उसके द्वारा लगाये गये आरोप सिद्ध करने का भार होगा।
- VI. शिकायत प्रकोष्ठ का निर्णय, आदेश और व्यवस्था, उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर होगा और सुनवाई के पश्चात् यथाशीघ्र घोषित किया जायेगा। निर्णय घोषित करने के 12 घण्टों के अन्दर शिकायत प्रकोष्ठ व्यवस्था की लिखित राय जारी करेगा जिसमें तथ्यों का निष्कर्ष तथा उस पर लिये गये विधिसम्मत निर्णय का उल्लेख होगा। शिकायत प्रकोष्ठ के द्वारा दी गई लिखित व्यवस्था पश्चात्वर्ती तीन चुनावों के लिए पूर्व निर्णय के रूप में लागू रहेगी और शिकायत प्रकोष्ठ का भावी कार्यवाहियों हेतु मार्गदर्शन करेगी। शिकायत प्रकोष्ठ पूर्व की लिखित व्यवस्था पर विचार करके उसे उपरोक्त अवधि में भी अस्वीकार कर सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए सम्यक कारण अभिलेखित करने होंगे।
- VII. यदि शिकायत प्रकोष्ठ के निर्णय की अपील संस्थाध्यक्ष को की जाती है, तो शिकायत प्रकोष्ठ अविलम्ब अपनी व्यवस्था/निर्णय को अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
- VIII. शिकायत प्रकोष्ठ समुचित उपचार अथवा शास्ति का चयन करेगा। इसके लिए प्रकोष्ठ द्वारा उल्लंघन के प्रकार व गंभीरता के साथ ही उल्लंघनकर्ता की मानसिक स्थिति अथवा आशय को भी दृष्टिगत रखा जायेगा। संभावित उपचारों एवं शास्तियों में अर्थदण्ड, प्रचार संबंधी विषेषाधिकारों का निलंबन एवं निर्वाचन से निरर्हता सम्मिलित हैं किन्तु उक्त संभावित उपचार एवं शास्तियों इन्हीं तक सीमित नहीं हैं अपितु उनका स्वरूप इनके अतिरिक्त भी हो सकता है।
- IX. निर्वाचन के क्रम में प्रत्याशियों के विरुद्ध कोई अर्थदण्ड अथवा कुल अर्थदण्ड प्रत्याशी द्वारा निर्वाचन में किये जाने वाले विधिक रूप से अनुमन्य व्यय से अधिक नहीं होना चाहिये।
- X. सुनवाई के पश्चात् यदि शिकायत प्रकोष्ठ यह पाता है कि इस संहिता के प्रावधानों का प्रत्याशी, उसके अभिकर्ता अथवा कार्यकर्ता द्वारा उल्लंघन किया गया है तो शिकायत प्रकोष्ठ प्रत्याशी अथवा उसके अभिकर्ता या कार्यकर्ता को प्रचार की समस्त अथवा आशिक गतिविधियों से कुछ समय अथवा प्रचार हेतु शेष बचे समय के लिए रोक सकता है। यदि प्रचार अवधि के आंशिक भाग के लिए ही उक्त आदेश निर्गत किया गया हो तो वह अविलम्ब प्रभाव में आ जायेगा, जिससे कि इस आदेश की अवधि समाप्त होने पर प्रत्याशी को अविलम्ब चुनाव प्रचार और निर्वाचन के दिन सहभागीदारी करने का अवसर मिल सके।
- XI. यदि सुनवाई के पश्चात् शिकायत प्रकोष्ठ यह पाता है कि इस संहिता के प्रावधान अथवा शिकायत प्रकोष्ठ के विनिश्चयों, रायों, आदेशों अथवा व्यवस्था को प्रत्याशी अथवा प्रत्याशी के अभिकर्ता अथवा कार्यकर्ता ने जानबूझकर और स्पष्टतः उल्लंघन किया है, तो शिकायत प्रकोष्ठ प्रत्याशी को निरहित कर सकता है।
- XII. शिकायत प्रकोष्ठ के निर्णय से विपरीततः प्रभावित कोई पक्षकार निर्णय घोषित होने के 24 घण्टे के अन्दर संस्थाध्यक्ष को अपील कर सकता है। संस्थाध्यक्ष के पास शिकायत प्रकोष्ठ के सभी मामलों, जिसमें शिकायत प्रकोष्ठ पर त्रुटि आरोपित की गई हो, में विवेकाधीन अपीलीय क्षेत्राधिकार होगा।
- XIII. शिकायत प्रकोष्ठ का निर्णय तब तक पूर्णरूप से प्रभावी रहेगा, जब तक कि संस्थाध्यक्ष द्वारा अपील की सुनवाई कर उसे निर्णीत नहीं कर दिया जाता।
- XIV. शिकायत प्रकोष्ठ व्यवस्था पर संस्थाध्यक्ष अविलम्ब सुनवाई करेगा, लेकिन शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा लिखित राय की प्रति अपीलकर्ता और संस्थाध्यक्ष को देने के बाद से 24 घण्टे के अन्दर

ऐसी सुनवाई नहीं की जायेगी। इस अवधि से पहले भी सुनवाई हो सकती है, यदि अपीलकर्ता उल्लिखित अवधि का अभित्यजन कर दे और संस्थाध्यक्ष इस अभित्यजन को स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाये।

XV. संस्थाध्यक्ष अपील के निस्तारण तक शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा दी गई व्यवस्था को निलंबित करने अथवा उसका पालन रोकने का समुचित आदेश पारित कर सकता है।

XVI. अपील में संस्थाध्यक्ष शिकायत प्रकोष्ठ के निष्कर्ष का पुनर्विलोकन करेगा। संस्थाध्यक्ष शिकायत प्रकोष्ठ के निर्णय की पुष्टि अथवा इसको उलट सकेगा अथवा अधिरोपित शास्ति को संशोधित कर सकेगा।

18. निर्वाचन प्रक्रिया के समय परिसर में विधि और व्यवस्था को बनाये रखना

अत्यधिक विधि विहीनता की कोई घटना अथवा प्रत्यक्ष/आरोपित अपराध कारित होने की स्थिति में यथासम्भव विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा पुलिस को रिपोर्ट की जायेगी, लेकिन आरोपित अपराध कारित होने के 12 घण्टे के अन्दर ही रिपोर्ट करनी होगी।

19. विविध

- I. **अविश्वास प्रस्ताव—**किसी पदाधिकारी/सदस्य पर छात्रसंघ के विरुद्ध कार्य करने अथवा संस्था की गरिमा के विरुद्ध कार्य करने अथवा छात्रसंघ संविधान के विरुद्ध कार्य करने अथवा कोई हिंसक वारदात करने के आरोप होने पर छात्रसंघ की बैठक में उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव छात्रसंघ प्रभारी की उपस्थिति में छात्रसंघ के 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर होने के पश्चात् लाया जा सकता है। उपरोक्त अविश्वास प्रस्ताव छात्रसंघ की सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होने पर ही मान्य होगा।
- II. **किसी पदाधिकारी/सदस्य का निलम्बन/पदच्युत होना—**छात्रसंघ का कोई भी पदाधिकारी अथवा निर्वाचित/ नामित सदस्य यदि संस्था की गरिमा को धूमिल करने या ठेस पहुंचाने वाला आचरण अथवा कार्य करता है अथवा छात्रसंघ संविधान के विरुद्ध कार्य करता है तो अविश्वास प्रस्ताव लाये बिना ही संस्थाध्यक्ष को ऐसे पदाधिकारी/सदस्य को छात्रसंघ से निलम्बित करने अथवा शेष कार्यकाल हेतु पदच्युत करने का अधिकार होगा।
- III. **छात्रसंघ का भंग किया जाना—**यदि सम्पूर्ण छात्रसंघ की गतिविधियां संस्था के हित में नहीं हैं अथवा संस्थाध्यक्ष या संस्थाप्रशासन के विरुद्ध हैं अथवा संस्था की गरिमा को धूमिल करने वाली हैं, तो संस्थाध्यक्ष द्वारा छात्रसंघ को शेष कार्यकाल हेतु निलम्बित अथवा भंग किया जा सकता है। ऐसा निर्णय लेने से पूर्व संस्थाध्यक्ष निर्वाचन समिति के सदस्यों, छात्रसंघ प्रभारी और संस्था के वरिष्ठ प्राध्यापकों से विचार विमर्श कर सकते हैं।
- IV. **संविधान संशोधन—**यदि विभिन्न संस्थाओं के छात्रसंघ कुछ सामान्य (कॉमन) बिन्दुओं पर संविधान में संशोधन चाहते हैं तो उन्हें इसके लिये अपने संस्थाध्यक्ष के माध्यम से कुलपति श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से लिखित निवेदन करना होगा। यदि संस्थाओं के संस्थाध्यक्ष भी किसी बिन्दु पर व्यावहारिक कठिनाई अनुभव करते हुए संविधान में संशोधन चाहते हैं तो उन्हें भी इसकी लिखित रूप में कुलपति श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय को सूचना देनी होगी लेकिन सम्बन्धित संशोधन श्री जे० एम० लिंगदोह समिति की संस्तुतियों

तथा तदनुरूप उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत केरल विश्वविद्यालय बनाम केरल कालेज प्राचार्य परिषद् (2006) 8 एससीसी 304 के विपरीत नहीं होनी चाहिये।

20. सुरक्षा व्यवस्था

शैक्षणिक समुदाय की सुरक्षा के लिए क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध करायेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि पर्याप्त पुलिस बल के अभाव में निर्वाचनों के स्थानों में अवांछित घटना घटित न हो। इसलिए आवश्यकतानुसार इसका अनुपालन किया जायेगा।

परिशिष्ट— 1

संस्था का नाम——
छात्रसंघ निर्वाचन 20 — 20

नवीनतम पासपोर्ट
साइज फोटोग्राफ
चिपकायें।

नामांकन प्रपत्र

नोट—स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रत्याशी, प्रस्तावक तथा अनुमोदक अपनी कक्षा के साथ विषय भी लिखें।

प्रस्ताव

मैं छात्रसंघ के..... पद हेतु श्री / कु0.....
..... कक्षा..... विषय..... का नाम प्रस्तावित
करता / करती हूँ।

प्रस्तावक के हस्ताक्षर..... नाम व कक्षा विषय सहित.....
.....
पिता का नाम.....

अनुमोदन

मैं उपर्युक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करता / करती हूँ।

अनुमोदक के हस्ताक्षर.....
.....
नाम व कक्षा विषय सहित.....
.....
पिता का नाम.....

प्रत्याशी की सहमति

मुझे छात्रसंघ के..... पद का प्रत्याशी होने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं
आज दिनांक..... को..... बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह में अपना नामांकन प्रपत्र
प्रस्तुत करता / करती हूँ।
शैक्षिक योग्यता (प्रमाणपत्रों की छाया प्रति संलग्न करें)।

प्रत्याशी के हस्ताक्षर.....

प्रत्याशी का नाम.....
 कक्षा विषय सहित.....
 पिता का नाम.....
 स्नातक प्रथम उत्तीर्ण वर्ष अथवा सेमेस्टर प्रथम और द्वितीय
 स्नातकद्वितीय उत्तीर्ण वर्ष अथवा सेमेस्टर तृतीय और चतुर्थ
 स्नातक तृतीय उत्तीर्ण वर्ष अथवासेमेस्टर पंचम एवं षष्ठम
 स्नातकोत्तर प्रथम उत्तीर्ण वर्ष अथवा सेमेस्टर प्रथम और द्वितीय
 संस्था में प्रथम बार प्रवेश लेने की तिथि.....
 प्रत्याशी की जन्म तिथि..... (प्रमाणपत्र की छाया प्रति संलग्न करें)

प्रत्याशी की घोषणा

मैं.....जो.....पद का प्रत्याशी हूँ

एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं संस्था के समस्त नियमों का पालन करूँगा/करूँगी। किसी भी बाह्य व्यक्ति को चुनाव प्रचार के लिये अपने साथ संस्था में नहीं लाऊँगा/लाऊँगी और संस्था में शान्ति बनाये रखने में सहयोग दूँगा/दूँगी। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे किसी भी न्यायालय द्वारा कभी भी दण्डित नहीं किया गया है तथा मेरे विरुद्ध वर्तमान में न्यायालय में आपराधिक वाद नहीं है/अमुक वाद चल रहा है। मेरे विरुद्ध किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा नहीं की गई है और न ही लम्बित है तथा किसी भी प्रकार का दण्ड आरोपित नहीं किया गया है तथा मेरा कोई भी प्रश्नपत्र/विषय किसी शैक्षणिक सत्र/सेमेस्टर का उत्तीर्ण करना अवशेष नहीं है। मेरे द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान परिसर/महाविद्यालय के भवनों को लिखकर गन्दा नहीं किया जाएगा तथा शहर के निजी एवं सामुदायिक भवनों को लिखकर खराब नहीं किया जायेगा।

प्रत्याशी के हस्ताक्षर

अधिकारियों के हस्ताक्षर जिनके सम्मुख नामांकन प्रपत्र प्रस्तुत किया गया है।

1.

2.

3.

4.

नामांकन प्रपत्र जमा करने का समय:

दिनांक.....

परिशिष्ट— 2

नामांकन तथा आवश्यक अनिवार्यताओं का शपथ पत्र का प्रारूप

मैं..... पुत्र/पुत्री श्री.....

कक्षा..... निवासी..... ईश्वर को साक्षी रखकर शपथ
लेता/लेती हूँ कि—

1. मेरा नाम..... है।
2. मैं..... (संस्था का नाम) में
कक्षा का/की नियमित संस्थागत छात्र/छात्रा हूँ। मेरी उपस्थिति वर्तमान सत्र में प्रवेश की
तिथि से अब तक 75 प्रतिशत रही है और गत सत्र में भी 75 प्रतिशत उपस्थिति रही है तथा
सम्बन्धित सत्र में भविष्य में भी 75 प्रतिशत उपस्थिति पूरी करने का वचन देता/देती हूँ।
3. मैं शिक्षा सत्र..... के
संस्था के छात्रसंघ के पद हेतु नामांकन दाखिल कर रहा/रही हूँ।
4. मैं संविधान में उल्लिखित आचार संहिता का पूर्ण रूपण पालन करूँगा/करूँगी। आचार
संहिता का उल्लंघन करते पाये जाने पर पद हेतु मेरा नामांकन
अथवा मेरा निर्वाचन, जैसी भी स्थिति हो, निरस्त कर दिया जाये।
5. मैं संविधान में उल्लिखित निर्वाचन सम्बन्धी खर्च तथा वित्तीय जवाबदेही का पूर्ण अनुपालन
करूँगा/करूँगी तथा चुनाव परिणाम घोषित होने के 2 सप्ताह के अंदर परिसर/सम्बद्ध
महाविद्यालयों को चुनाव आय-व्यय का लेखा प्रस्तुत करूँगा/करूँगी।
6. नामांकन प्रपत्र में मेरे द्वारा दी गयी समस्त सूचनायें सत्य हैं और कोई भी तथ्य छिपाया नहीं
गया है।
7. मेरा पूर्व का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है, मेरा कभी कोई विचारण नहीं हुआ है और/अथवा
किसी आपराधिक वादमें दोषसिद्ध नहीं हुआ हूँ अथवा अपराधी नहीं रहा हूँ। मेरे विरुद्ध
विश्वविद्यालय/महाविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा कभी कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही भी नहीं
की गयी है।
8. मैं विगत वर्ष अनुत्तीर्ण नहीं हुआ/हुई हूँ।
9. मैंने इससे पूर्व विश्वविद्यालय के किसी परिसर अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय में लिंगदोह
समिति की संस्तुतियों लागू होने के उपरान्त छात्रसंघ पदाधिकारी के किसी पद हेतु चुनाव नहीं
लड़ा है और न ही विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के रूप में दो बार चुनाव लड़ा है।

ओथ कमिश्नर अथवा नोटरी के
हस्ताक्षर तथा मोहर

दिनांक:

मैं उपरोक्त प्रस्तर—1, 2, 7, और 8 को दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर सत्य होना घोषित
करता/करती हूँ तथा प्रस्तर 3, 4, 5, 6 और 9 को व्यक्तिगत ज्ञान तथा दस्तावेजों के आधार पर सत्य
होना घोषित करता/करती हूँ। यदि इनमें से कोई भी सूचना असत्य पाई जाये तो
.....पद हेतु मेरा नामांकन अथवा मेरा निर्वाचन, जैसी भी स्थिति हो, निरस्त कर दिया जाये।

दिनांक :

प्रत्याशी के हस्ताक्षर

प्रत्याशी के हस्ताक्षर

परिशिष्ट- 3

संस्था का नाम ——————

छात्रसंघ निर्वाचन सत्र 20 – 20

नामांकन वापसी का प्रपत्र

मैं पुत्र/पुत्री श्री
 कक्षा ने दिनांक: को पद
 हेतु नामांकन प्रपत्र दाखिल किया था। आज दिनांक: को
 बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह में अपनी इच्छा से अपना नामांकन वापस लेता/लेती हूँ।

प्रत्याशी के हस्ताक्षर प्रत्याशी का नाम.....

दिनांक:

साक्षों के हस्ताक्षर, नाम तथा कक्षा

(परिचय—पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है)

1.

2.

3.

परिशिष्ट- 4

मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व प्रत्याशियों/अभिकर्ताओं द्वारा घोषणा

हम घोषणा करते हैं कि मतपेटी सीलबन्द करने से पूर्व खाली थी। मतपेटी हमारे सम्मुख सीलबन्द की गई। हम मतदान प्रारम्भ होने की प्रक्रिया से सहमत एवं सन्तुष्ट हैं।

प्रत्याशी का नाम

अभिकर्ता का नाम व कक्षा

अभिकर्ता के हस्ताक्षर

- | | | |
|---------|-------|-------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |

परिशिष्ट— 5

मतदान समाप्ति के बाद अभिकर्ताओं द्वारा घोषणा

हम घोषणा करते हैं कि हम मतदान प्रक्रिया से सन्तुष्ट हैं। मतदान समाप्ति के बाद मतपेटी हमारे सम्मुख सीलबन्द की गयी। मतदान में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है।

प्रत्याशी का नाम	अभिकर्ता का नाम व कक्षा	अभिकर्ता के हस्ताक्षर
1.
2.
3.

परिशिष्ट— 6

मतपत्र लेखा

मतदान केन्द्र संख्या.....

- प्राप्त मतपत्रों की संख्या—
क्रम संख्या.....से.....तक कुल प्राप्त मतपत्र.....
- प्रयुक्त मतपत्रों की संख्या—
क्रम संख्या.....से.....तक कुल प्रयुक्त मतपत्र.....
-
- शेष मतपत्र (1—2).....
- रद्द किये गये मतपत्रों की संख्या.....

हस्ताक्षर मतदान अधिकारी।

परिशिष्ट –7
छात्र संघ निर्वाचन वर्ष 2018–20
विश्वविद्यालय परिसर/महाविद्यालय
मतगणना अभिकर्ता नियुक्ति पत्र

मैं पद का प्रत्याशी हूँ तथा मतदान हेतु
निम्नवत अपना मतदान अभिकर्ता नियुक्त करता हूँ।

मतगणना अभिकर्ता का नाम
कक्षा मतगणना केन्द्र संख्या

प्रत्याशी के हस्ताक्षर
प्रत्याशी का नाम

दिनांक

मैं उक्त नियुक्ति से सहमत हूँ तथा मैं समस्त निर्वाचन नियमों एवं पीठासीन अधिकारी के निर्देशों का
पालन करूँगा/करूँगी।

पीठासीन अधिकारी के समक्ष	मतदान अभिकर्ता का
मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
	हस्ताक्षर प्रमाणित

(पीठासीन अधिकारी)

(मुख्य निर्वाचन अधिकारी)

परिशिष्ट -8

संस्था का नाम.....

मतगणना अभिकर्ता नियुक्ति पत्र

नोट:- किसी मतगणना केन्द्र पर एक प्रत्याशी का केवल एक मतगणना अभिकर्ता उपस्थित रह सकता / सकती है। (यह नियुक्ति पत्र, मतगणना केन्द्र पर मतगणना अधिकारी को दिया जाये)

मैं जो वर्ष के छात्रसंघ के निर्वाचन हेतु
..... पद का प्रत्याशी हूँ एतदद्वारा श्री पुत्र/पुत्री श्री
..... कक्षा को मतगणना केन्द्र पर अपना प्रतिनिधित्व
करने हेतु मतगणना अभिकर्ता नियुक्त करता / करती हूँ।

प्रत्याशी के हस्ताक्षर दिनांक

मैं, श्री के मतगणना अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

मतगणना अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मतगणना अभिकर्ता का नाम व कक्षा

पिता का नाम

दिनांक:

परिशिष्ट-9

मतगणना टेबल संख्या

मतगणना से पूर्व अभिकर्ताओं द्वारा की गई घोषणा

हम घोषणा करते हैं कि मतगणना कार्य के सुचारू संचालन में कोई अनावश्यक विवाद उत्पन्न नहीं करेंगे और मतगणना केन्द्र पर शान्ति एवं अनुशासन बनाये रखेंगे। निर्वाचन परिणामों की घोषणा होने के बाद ही मतगणना केन्द्र का परित्याग करेंगे। हम यह भी घोषणा करते हैं कि मतगणना के दौरान उठने वाले सभी विवादों पर इस हेतु नियुक्त समिति के निर्णयों को स्वीकार करेंगे। मतगणना के लिए मतपेटी खुलने से पूर्व सीलबन्द थी।

प्रत्याशी का नाम

अभिकर्ता का नाम व कक्षा

अभिकर्ता के हस्ताक्षर

1.

.....

.....

2.

.....

.....

3.

.....

.....

4.

.....

.....

परिशिष्ट-10

मतगणना टेबल संख्या.....

मतगणना के पश्चात् अभिकर्ताओं द्वारा कीगई घोषणा

हम घोषणा करते हैं कि मतपेटी खुलने से पूर्व सीलबन्द थी और हमारे सम्मुख खोली गयी। हम मतगणना से सन्तुष्ट हैं और मतगणना परिणामों को रचीकार करते हैं।

प्रत्याशी का नाम

अभिकर्ता का नाम व कक्षा

अभिकर्ता के हस्ताक्षर

- | | | |
|---------|-------|-------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |

परिशिष्ट- 11

निर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ का प्रारूप

मैं पुत्र/पुत्री श्री.....

.....शपथ लेता/लेती हूँ कि.....(संस्था का नाम) के
शिक्षा सत्र..... के छात्रसंघ के.....पद के दायित्वों का सत्यनिष्ठापूर्वक
निर्वहन करूँगा/करूँगी। ऐसा कोई आचरण नहीं करूँगा/करूँगी जो संस्था की गरिमा के विरुद्ध हो।
मैं यह भी शपथ लेता/लेती हूँ कि छात्रसंघ संविधान में वर्णित सभी नियमों का पूर्णरूपेण पालन
करूँगा/करूँगी।

दिनांक:

हस्ताक्षर

परिशिष्ट-12

छात्र संघ चुनाव दस्तावेजों के विनिष्टीकरण की सूचना का प्रारूप

“छात्र संघ संविधान में उल्लेखित उपबन्धों के अनुसार छात्र संघ चुनाव (वर्ष.....) सम्बन्धी निम्नलिखित दस्तावेजों को आज दिनांक..... को हमारे सम्मुख विनिष्ट किया गया।”

क्र०सं०	दस्तावेज का नाम	सत्र
1.
2.
3.

हस्ताक्षर :

सदस्य

हस्ताक्षर :

समन्वयक

छात्र संघ चुनाव
दस्तावेज विनिष्टीकरण समिति

छात्र संघ चुनाव
दस्तावेज विनिष्टीकरण समिति

- 1.
- 2.
- 3.